

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण-GCMS-NO-2024/375

दायरा तिथि : 07.10.2024

आदेश तिथि : 26-11-2024

प्रार्थी :- भारत टिम्बर एण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी मुख्‍त्यार राजेश आशर पुत्र दिलीप आशर निवासी आर डी भाटिया निवास, गिरगाव रो, पोस्ट ऑफिस मुम्बई

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 26-11-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 273/4 रकबा 0.8000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 257 रकबा 121.8000 हैक्टर व खसरा नंबर 408 रकबा 11.8000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/2434 दिनांक 30.10.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी के खेत से कटान मार्ग के लिए आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खातेदार उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान से ही आना-जाना करता है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सडक अथवा किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का ही है।
3. यह है कि ग्राम वेलार में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
257	121.80 हैक्टर	गै.मु. पहाड	600x9=5400 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
408	11.80 हैक्टर	बा. सो.	742x9=6678 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह कि भू-अभिलेख निरीक्षक नाना की रिपोर्टनुसार भूमि की पंजीयन कार्यालय के अनुसार डी. एल.सी. दर 1,21,047 रु/- रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार.....02

//02//

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024 / 375

अनवान भारत टिम्बर एण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 273/4 रकबा 0.8000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2434 दिनांक 30.10.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 273/4 रकबा 0.8000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम वेलार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 257 रकबा 121.8000 हैक्टर व खसरा नंबर 408 रकबा 11.8000 हैक्टर में से $5400+6678=12078$ वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 1,21,047 /-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
257	121.80 हैक्टर	$600 \times 9 = 5400$ वर्गमीटर	13	$70200 \times 2 = 1,40,400$	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
408	11.80 हैक्टर	$742 \times 9 = 6678$ वर्गमीटर	13	$86814 \times 2 = 1,73,628$	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 314028/- (अक्षरे तीन लाख चौदह हजार अट्ठाईस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2024/2374-2378

प्रतिलिपि निर्मांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना -
3. पटवारी हल्का, कोठार
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक भारत टिम्बर एण्ड कन्स्ट्रक्शन कंपनी मुख्यालय राजेश आशर पुत्र दिलीप आशर निवासी आर डी भाटिया निवास, गिरगांव रो, पोस्ट ऑफिस मुम्बई को सूचनाथ।

(दिनेश बिजोई)-

सहायक कमिश्नर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक 27-11-2024


सहायक कमिश्नर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

नकल नक्शा किश्तवार

ग्राम - पेलार

तह - बाली

जिला - पाली



आवेदक की खातेदारी भूमि

पुस्तकित रास्ता



ग्रामपंचायत, बाली

ILR नाम

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली